u

U;k;ky; HkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy
ikf/kdkjh chdkuj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 85@2015

1. राजकुमार पुत्र महावीरप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न0 10 राजगढ जिला चूरू ।
2. सुनील कुमार महावीरप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न0 10 राजगढ जिला चूरू ।

vihykVl

cuke

1. आनन्द कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

2.कलावती देवी पत्नी स्व0 दामोदर लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

3.विनोद कुमार पुत्र स्व0 दामोदर लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

4.प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 दामोदर लाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

5.संतलाल पुत्र स्व0 ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

6.प्रकाशचन्द्र पुत्र स्व0 ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

7.देवकीनन्दन पुत्र स्व0 ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

8.कृष्णकुमार पुत्र स्व0 ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

9.राजेश पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

10. सज्जन पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

11. गोपाल पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 24 राजगढ जिला चूरू ।

12. तहसीलदार भूअभिलेख राजगढ जिला चूरू ।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।

jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री मो0जब्बार अधिवक्ता अपीलांट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jktx< d fu.k; o fMØh fnukd 12-06-2015 d fo:} vihy vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—30.09.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि के पुराने ख0न0 2448/1296 तादादी 1.43 हैक्टयर, ख0न0 2449/1365 तादादी 5.94 हैक्टयर कुल तादादी 7.37 हैक्टयर कृषि भूमि वाके रोही कस्बा राजगढ जिला चूरू में स्थित है । रेस्पो0 स0 1 से 8 को 0.8750 हैक्टयर व रेस्पो0 सं0 9 से 11 को 1.5417 हैक्टयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया है तथा वादगत कृषि भूमि के बाबत वर्तमान इन्द्राज प्रभाव शुन्य व निष्प्रभावी करार दिया है जो निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून विपरित राजस्व रेकार्ड एवं विधि विरूद्व होने के कारण यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि के पुराने ख0न0 2448/1296 तादादी 1.43 हैक्टयर, ख0न0 2449/1365 तादादी 5.94 हैक्टयर कुल तादादी 7.37 हैक्टयर कृषि भूमि वाके रोही कस्बा राजगढ जिला चूरू में स्थित है । रेस्पो0 स0 1

से 8 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर रेस्पो0 सं0 9 ता 11 व प्रतिवादी सं0 24 ता 26 थे जिनके द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया । वादगत कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नामान्तरकरण में अपीलांट संहखातेदार है जिसे बिना नोटिस तामील करवाये व वर्तमान जमाबंदी व नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छिपाकर निर्णय व डिक्री हासिल की है । रेस्पो0 सं0 1 ता 11 ने अपने हिस्से में आई कृषि भूमियों को अपीलांट तथा नामान्तरकरण सं0 733 कालम 7 में दर्ज व्यक्ति अजयकुमार सचिन कुमार, जयवीर, राजकुमार, सुनीलकुमार, महेन्द्र कुमार, भारतभुषण आदि व्यक्तियो को जरिये विक्रय पत्र के बेचान कर दी । जिस कारण इन रेस्पोडेन्टान का हिस्सा वादगत कृषि भूमि में नही रहा । नामान्तरकरण सं0 733 में जिन खातेदारों के नाम दर्ज किये गये है वादगत भूमि पर इन्ही का कब्जा व मौका काश्त रहा है । जबकि कालम सं0 9 में दर्ज रेस्पो0 सं0 1 ता 11 के नाम दर्ज हिस्सो की भूमि पर मौका पर कोई कब्जा नही ना इनके हिस्से में दर्ज भूमि हिस्से में आती है । रेस्पो0 सं0 12 व पटवारी हल्का कर कोई कब्जा की रिपोर्ट दर्ज नामान्तरकरण व निर्णय डिक्री जैर अपील की पालना में दर्ज किया है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 2448/1296 तादादी 1.43 हैक्टयर, ख0न0 2449/1365 तादादी 5.94 हैक्टयर पर मौके पर नामान्तरकरण सं0 733 के कालम सं0 7 में दर्ज व्यक्तियों का विधिक कब्जा है व भूमि इनके नाम दर्ज हिस्से अनुसार ही मौके पर स्थित है । तहसीलदार भूअभिलेख राजगढ के द्वारा नामान्तरकरण सं0 1 ता 11 के नाम दर्ज हिस्से की भूमि का मौके पर नाप व पेमाईस नही की । धरातल पर रेस्पो0 सं0 1 ता 11 का कोई कब्जा नही है । इनके द्वारा अपने हिस्से की भूमिया नामान्तरकरण सं0 733 के कालम 7 में दर्ज में व्यक्तियों को बेचान कर दी । नामान्तरकरण सं0 733 के कालम सं0 7 में दर्ज व्यक्तियों के हिस्से कालम न0 9 में भी बराबर दर्ज किये गये है तब रेस्पो0 सं0 1 ता 8 के हिस्से में कुल 0.8750 हैक्टयर व रेस्पो0 सं0 1 ता 11 के हिस्से में 1.5417 हैक्टयर हिस्सा कहां से दिया गया है अगर यह भूमि रेस्पो0 के नाम से दर्ज हिस्सा मौके पर होता तो कृषि भूमि ख0स0 2448/1296 व ख0न0 2449/1365 का कुल रकबा 7.37 हैक्टयर मौके पर बढ़ जाता लेकिन रकबा नही बढ़ा ना ही वर्तमान खातेदारों का रकबा कम हुआ है । इस कारण रेस्पो0 सं0 1ता 11 के नाम दर्ज हिस्सा कोनसा है और कहां से किस आधार पर दिया गया है ऐसी कोई मौका रिपोर्ट नही है । जिस बाबत हल्का पटवारी दिनांक 18.02.2015 को तहसीलदार भूअभीलेख को पत्र लिखकर यह मार्गदर्शन मांगा की निर्णय ख0न0 1296 व 1365 का मूल रकबा 10.60 हैक्टयर में किया गया है या ख0न0 2448/1296 व 2449/1365 रकबा 7.37 हैक्टयर में किया गया है व किसको कितना कितना रकबा दिया जावे इससे साबित होता है कि रेकार्ड मे दर्ज भूमि मौके पर स्थित भूमि की कोई जांच नही की गयी है । संवत 2057 से 2060 खाता विभाजन का नामान्तरकरण सं0 274 दिनांक 18.03.2011 का हिस्सा 10.60 हैक्टयर लिख दिया गया जो गलत दर्ज हुआ है परन्तु ख्यालीराम जो रेस्पो0 सं0 1 ता 8 का पूर्वज था के वारिसानों के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है । जो कि वारिसानों के हिस्से में 1/24 हिस्सा बनता है इसके बाद उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेशानुसार हिस्सा शुद्व का

नामान्तरकरण सं0 428 दिनांक 29.06.2012 को स्वीकृत हुआ जिसमें लक्ष्मीनारायण, दामोदरलाल, प्रकाशचन्द्र, देवकीनन्नदन, कृष्णकुमार पिसरान ख्यालीराम बहिस्सा बराबर 0.45 हैक्टयर दर्ज हुआ जो सही हुआ । इसी प्रकार रेस्पो0 सं0 9 ता 11 का भी वादगत कृषि भूमियों में नोपा वल्द घडसी, रामचन्द्र, डेडा, बालू पिसरान चिमनाराम एक तिहाही हिस्सा के हिसाब से 1/24 हिस्सा बनता है इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष वर्तमान जमाबंदी व नामान्तरकरण की कोई जांच नही की गयी जिस कारण नामान्तरकरण सं0 733 के कालम 9 में रेस्पो0 सं0 1 ता 11 के नाम दर्ज हिस्सा खारिज करने योग्य है । अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन हैकि अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चुरू के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 को अपास्त किया जावे तथा उक्त डिक्री के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 ता 11 के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 733 के कालम न0 9 में दर्ज हिस्सा प्रभाव शुन्य घोषित किया जावे ।

3. अपीलांट अभिभाषक उपस्थित रेस्पो0 1 ता 11 एक्स पार्टी किया गया । पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन व अपीलांट अभिभाषक की बहस पर अवलोकन व मनन किया जिससे साबित है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1296 तादादी 3.4300 हैक्टयर व ख0न0 1365 तादादी 60.1700 हेक्टयर कुल तादादी 10.6000 हैक्टयर वाके रोही कस्बा राजगढ जिला चूरू में स्थित है जो कि रेस्पो0/वादी सं0 1 आनन्द कुमार के पिता लक्ष्मीनारायण, रेस्पो0 सं0 2 ता 4 के पिता व पति दामोदरलाल एवम रेस्पो0सं0 5 ता 8 के पिता ख्यालीराम के नाम से 1/8 हिस्सा भूमि खातेदारी एवम कब्जे काश्त की थी शेष भूमि अन्य खातेदारान पक्षकारान प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि थी । उक्त कृषि भूमि में से आनन्द कुमार पुत्र रामस्वरूप द्वारा ख0न0 2247/1246 तादादी 0.4000, ख0न0 2450/1365 तादादी 0.2600 कुल तादादी 0.6600 हैक्टयर, ख0न0 2446/1296 तादादी 0.4000, ख0न0 2451/1365 तादादी 0.2600 हैक्टयर कुल तादादी 0.6600 हैक्टयर, सरला पत्नी तुलसीराम ने ख0न0 2445/1296 तादादी 0.4000, ख0न0 2452/1365 तादादी 0.2600 हैक्टयर कुल तादादी 0.6600 इसी प्रकार मनीराम पुत्र महेन्द्रराम ने ख0न0 2443/1296 तादादी 0.4100, ख0न0 2444/1296 तादादी 0.3900, ख0न0 2453/1365 तादादी 0. 2000, ख0न0 2454/1365 तादादी 0.2500 कुल तादादी 1.2500 कृषि भूमि 3.23 हैक्टयर विक्रय कर दी जिसके बाद वादगत कृषि भूमि 10.6000 में से 3.23 हैक्टयर कृषि भूमि विक्रय होने के पश्चात कुल तादादी 7.37 हैक्टयर शेष रही । उक्त शेष रही कृषि भूमि में से रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के द्वारा अपने हिस्से की 1/18 भूमि अजय कुमार पुत्र नत्थुराम को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.08.12 को विक्रय कर दी जिसका ईंतकाल सं0 469 दिनांक 07.09.12 को दर्ज हो गया उसी प्रकार रेस्पो0 सं0 5 ता 8 के द्वारा अपने हिस्से की 1/18 भूमि सचिन कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार को जरिये विक्रय पत्र के बेचान कर दी जिसका ईतकाल 456 दिनांक 13.08.12 को दर्ज हो गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.05.2012 को संतोष देवी पत्नी आनन्द कुमार का हिस्सा दुरूस्त करते हुऐ अपने आदेश में संतोष देवी का 2.65 हैक्टयर कृषि भूमि नामान्तरकरण सं0 428 दिनांक 29.6.2012 दर्ज हुआ जिसके

अनुसार प्रतिवादी सं0 61 अजय कुमार के 2.56 हैक्टयर,प्रतिवादीगण सं0 18 ता 21 के 0.1725 हैक्टयर प्रतिवादी सं0 62 ता 65 के 0.0575 हैक्टयर, प्रतिवादीगण सं 13 ता 18 के 0.234 हेक्टयर, प्रतिवादी 22 व 23 0.1125 हैक्टयर प्रतिवादी सं0 27 ता 29 के 0.1125 हैक्टयर प्रतिवादी सं0 24 ता 26 के 0.225 हैक्टयर, वादी लक्ष्मीनारायण के 0.45 हैक्टयर रेस्पो0 सं0 30 ता 34 संतोष देवी आदि के 2.65 हैक्टयर, रामेश्वरलाल आदि 0.34 हैक्टयर, जयवीर प्रतिवादी 58 तादादी 0.34 हैक्टयर व प्रतिवादी सं0 59 सुमित्रा के 0.12 हैक्टयर कुल तादादी 7.37 हैक्टयर दर्ज है । नामातरकरण सं0 733 दिनांक 15.09.2015 जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2015 को दर्ज हुआ है । रेस्पो0 सं0 1 ता 11 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पूर्व में ही नामातरकरण सं0 733 के कालम सं0 7 में दर्ज व्यक्तियों को बेचान कर दी । नामातरकरण सं0 733 के कालम सं0 7 में दर्ज व्यक्तियों के हिस्से नामातरकरण सं0 733 के कालम न0 9 में भी बराबर दर्ज किये गये है इसमें रेस्पो0 सं0 1 ता 8 के हिस्से में कुल 0.8750 हैक्टयर भूमि व रेस्पो0 सं0 9 ता 11 के हिस्से में 1.5417 हैक्टयर हिस्सा दर्ज है जो कहां से आया व केसे दिया गया की रिपोर्ट नही है । यदि रेस्पो0 के नाम दर्ज हिस्सा मौके पर होता तो वादगत ख0न0 2448/1296 ख0न0 2449/1365 कुल तादादी 7. 37 हैक्टयर मौके पर बढता लेकिन रकबा ना तो बढा ओर ना वर्तमान में खातेदारों के कम हुआ जिस बाबत हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 18.08.15 को मार्गदर्शन मांगा की ख0न0 2448/1296 व 2449/1365 कुल तादादी 7.37 हैक्टयर या ख0न0 1296 व 1365 कुल तादादी 10.60 हैक्टयर में से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसके संबंध में निर्णय किया गया है व रेस्पो0 सं0 1 ता 11 खातेदार बनाने के बाद अन्य सहखातेदारों का कितना कितना व किस किस खातेदार को रकबा दिया जावे ।

4. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 को अपास्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि नामान्तरकरण सं0 733 दिनांक 15.09.2015 के कालम सं0 7 में दर्ज पृविष्टि के विषय में कालम 9 में दर्ज हिस्साकसी का व वादगत कृषि भूमि का मौके पर नायब तहसीलदार को भिजवा कर नामातरकरण सं0 733 पर विधिवत तरीके से अपीलांट व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुऐ खातेदारी दर्ज करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
5. निर्णय आज दिंनाक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkkx.kcU/k vf/kdkjh ,o
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj